राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स ,जेल रोड, भोपाल

क/एनएचएम/एच.आर./2020/7028 भोपाल, दिनांक–29/05/2020

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य में कोविड–19 महामारी संकट को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा SAMS के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर निर्धारित किये गये मापदंड के आधार पर प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को संविदा जिला डाटा मैनेजर के रूप में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिलों में कोविड–19 के नियंत्रण हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की संविदा सेवा उल्लेखित सेवा शर्तो के अनुसार मासिक मानदेय 25000/–प्रतिमाह के आधार पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है:–

SNo.	Name of Candidate	Father Name	Gender	Mobile No.	Location Allocated
1	Mr.Ovesh Aalam Khan	Mr.Ashraf Khan	Male	9407478275	Barwani
2	Ms.Chhaya Dangi	Mr.Surendra Singh Dangi	Female	7974062934	Bhopal (*For Reserve Pool)
3	Ms.Shilpa Singh Yadav	Mr.Shiv Kumar Singh Yadav	Female	9425605928	Bhopal (*For Reserve Pool)
4	Ms.Prachi Dubey	Mr.Rajendra Kumar Dubey	Female	7693946605	Bhopal (*For Reserve Pool)
5	Mr.Ravi Bamanke	Mr.Ganesh Bamanke	Male	8349914413	Dhar
6	Mr.Aman Suwaliya	Mr.Dinesh Suwaliya	Male	7415207186	Indore (*For Reserve Pool)
7	Mr.Hemant Singh	Mr.Hargovind Singh	Male	9617365369	Indore (*For Reserve Pool)
8	Ms.Shivani Shivhare	Mr.Umesh Shivhare	Female	7987274047	Jabalpur
9	Ms.Shikha Meshram	Mr.Praful Ghodeswar	Female	7898499333	Seoni
10	Ms.Rani Uaike	Mr.Atarlal Uaike	Female	7974028844	Ujjain (*For Reserve Pool)

संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. उक्त संविदा जिला डाटा मैनेजर को कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु अधिकतम एक वर्ष के लिये संविदा आधार पर रखा जा रहा है।
2. संविदा अनुबंध आदेश जारी दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष तक के लिये होगा।
3. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सेवा अवधि बढ़ाने संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होगें।
4. संविदा जिला डाटा मैनेजर को आदेश ईमेल प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
5. संविदा जिला डाटा मैनेजर को उपस्थिति पश्चात 07 दिवस के अन्दर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण–पत्र जमा क़रना अनिवार्य होगा।
6. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा जिला डाटा मैनेजर द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
7. संविदा जिला डाटा मैनेजर द्वारा आदेश प्राप्त होने पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
8. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच– नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा जिला डाटा मैनेजर को उनके कर्तव्य स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
10. संविदा जिला डाटा मैनेजर द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा समाप्त हो जायेगा।

निरंतर....2

11. संविदा जिला डाटा मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के नियंत्रण के अधीन होगे।
12. संविदा जिला डाटा मैनेजर को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।
13. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा जिला डाटा मैनेजर द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।
14. रिर्जवपूल के चयनित उम्मीदवारों को नियम–पुस्तिका अनुसार उन्हें आवंटित जिलों के अतिरिक्त कोविड–19 की आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में भी कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

पृ.क/एनएचएम/एच.आर./2020/7029 **भोपाल, दिनांक– 29/05/2020**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव भारत, सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. जिला कलेक्टर, जिला भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बड़वानी, धार, सिवनी, मध्यप्रदेश।
6. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,एन.एच.एम. म.प्र.।
8. अपर संचालक, आईडीएसपी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
10. म0प्र0 कोविड–19 नियंत्रण कक्ष प्रभारी, मध्यप्रदेश ।
11. उप संचालक, मानव संसाधन/लीगल. एनएचएम, मध्यप्रदेश।
12. उप संचालक आई.टी. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. उप संचालक, आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बड़वानी, धार, सिवनी, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि अभ्यर्थियों के आवेदन के समय अपलोड दस्तावेजों की साफ्टकॉपी मेल के साथ उनके मूल दस्तावेजो के साथ मिलान हेतु भेजी जा रही है, उपस्थिति पश्चात् जानकारी इस कार्यालय को ईमेल ddhrnhm@mp.gov.in पर प्रेषित करें एवं मासिक मानदेय कोविड–19 महामारी नियंत्रण हेतु उपलब्ध कराये गये मद से आहरित कर भुगतान करें।
15. **Mr. Gautamnath (MD & CEO), Strategic Alliance Management Service Pvt. Ltd, 1/1-B Ground Floor, Chaudhury Hetram House, Bharat Nagar, New Friends Colony, Near Mata Ka Mandir, New Delhi – 110025** की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सेम्स के पोर्टल पर अपलोड करें एवं संबंधित को तामिल करावें।
16. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बड़वानी, धार, सिवनी, एनएचएम मध्यप्रदेश।
17. सर्व संबंधितों की ओर पालनार्थ ।
18. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश